86

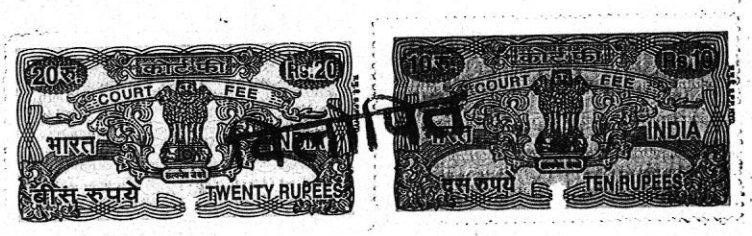

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सीहोर

III/भिगरानी/सीहोर/भू.रा/2017/6226

श्री ... द्वारा आज दि. 21.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 05.1.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21.12.17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती कोकिला पत्नी श्री मिश्रीलाल पुत्री स्व. परमसुख
निवासी – कोठीबाजार होशंगाबाद जिला – होशगाबाद (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– श्री शंकर पुत्र स्व परमसुख
2– श्री नारायण पुत्र श्री परमसुख
निवासी – ग्रम बासनियाकला तहसील रेहटी जिला – सीहोर (म.प्र.)
3– हरिनारायण पुत्र श्री परमसुख
निवासी – कस्बा रेहटी तहसील रेहटी जिला – सीहोर म.प्र.
4– श्रीमती सरजू बाई बेवा स्व परमसुख
निवासी – वासनियाकला तहसील रेहटी जिला – सीहोर म.प्र.

..... अनावेदकगण

दिवाकर दीक्षित (एड.)
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 340/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम नादिया खेडा खालसा की संशोधन पंजी क्रमांक 19 एवं 20 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 30.11.2009 को अद्म पैरवी में निरस्त कर दी गयी।

2– यहकि, आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 35(3) भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को पुर्न

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/6226

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक सुना जा चुका है। विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के प्रकरण क्रमांक 340 बी 121/16–17 में पारित आदेश दिनांक 18–10–17 के विरूद्व यह निगरानी है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18–10–17 का अंतिम पद इस प्रकार है :– **'' आवेदिका को प्रकरण क. 36/ अ./2008–09 में व्यक्तिशः सूचना होने व निर्धारित समयावधि में आवेदन अंतर्गत धारा 35 (3) म0प्र0 भू रा0सं0 प्रस्तुत न करने से प्रस्तुत आवेदन सात वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया जाने से अवधि वाह्य होने के कारण निरस्त किया जाता है।''** म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(3) का आवेदक का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया है। संहिता की धारा 35(4) इस प्रकार है – **'' जहां उपधारा (3) के अधीन फाइल किया गया आवेदन नामंज़ूर कर दिया जाता है वहां व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा जिसको कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किए गए मूल आदेश के विरूद्व अपील होती है।''** स्पष्ट है कि अवेदक के पास अपील का उपचार प्राप्त है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व निगरानी सुनवाई योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	